

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुड़ामालानी

उनवान :

वादीगण

चम्पा चनणी हेमी जूजाराम मोहनी ओमप्रकाश पि० मोटाराम जाति जाट निवासी गुमनाराम सारण की  
ढाणी, गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

प्रतिवादीगण

1. मोटाराम पुत्र मानाराम
2. भंवरलाल पुत्र चुनाराम
3. पारू पत्नी चूनाराम
4. पीराराम पुत्र हिमताराम जाति जाट निवासी बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
6. तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा बाबत 88,53,188 RTA

मुकदमा नम्बर :- 14/2021

निर्णय दिनांक :- 29.10.2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय बारासण)

वादीगण की ओर से वादीगण श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता वादीगण की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 6 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.10.2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादग्रस्त आराजी पटवार क्षेत्र बांटा के राजस्व ग्राम गुमनाराम सारण की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 84 रकबा 0-03 बीघा, खसरा नम्बर 85 रकबा 67-13 बीघा, खसरा नम्बर 102 रकबा 32-16 बीघा एवं ग्राम गादेश्वरी के खेत खसरा संख्या 204 रकबा 11-15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 मोटाराम की हिस्से की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 मोटाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार)

(पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर गुड़ामालानी

पंचायत सचिव गुड़ामालानी/आडेल

दिनांक 15/11/21

क्रमांक: वाचक/2021/960

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(प्रमोद कुमार)

(पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर गुड़ामालानी

पंचायत सचिव गुड़ामालानी/आडेल

